

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
------------	-----------------------------------	---------------------------------------

06/06/2023

पत्रावली पेश हुई... पी. सी. सा. ० तहसील गांवों के लंबे अर्था 2023
 (M.R.C. 2023. 3. 3. मे. ०) अस्त होते हे कारण
 अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
 04/07/23 को पेश की जावे

28/06/2023

पत्रावली आज दिनांक महंगाई राहत कम्पन
 प्रशासन जनों के स्वर्ग अभियान) 2023 विवि
 स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
 भेद्यनिकार में पेश हुई प्राप्ति स्वयं कम्पन स्थल
 पर उपस्थित। प्राप्ति ने वादी का वाद स्वीकार
 कर निर्णय करने का निवेदन किया। प्राप्ति
 का अवलोकन किया गया। पत्रावली संशोधित
 जवाब दावा में विनाराहीन होने से पेशी का
 संस्कार तहसीलदार रावतभाय को स्वयं मौका
 निरीक्षण करने हेतु आदेशित कर आज ही
 संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश
 दिए गए। पेशी सरकार ने मय पेशवारी।
 श्री अ. नि. के मौका निरीक्षण कर कम्पन स्थल
 पर निवेदन किया कि पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट पत्रावली
 अनुसार प्रस्तावित तरफों में किया जाया उचित
 होगा। पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट मौका निरीक्षण पर
 नियमानुसार सही प्राप्ति जाती है अब पुनः संशोधित
 जवाब दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता प्रतीत
 नहीं होती है। पुनः मुखाद रिपोर्ट पर आदेश दिया
 जाया उचित होगा। पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। प्राप्ति
 पर मनन किया गया। पेशी सरकार
 तहसीलदार रावतभाय अनुसार दिनांक
 27 सितम्बर 2022 का प्रेषित रिपोर्ट के मय

मौका निरीक्षण (नय
 करानियमा का संलग्न
 रिपोर्ट प्रस्तुत कर
 प्रस्तावित तरफों में
 जाया उचित होगा व संशोधित
 दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता
 प्रतीत नहीं होती है

320
 T. D. R. K. 14/11/2023
 डेप्युटी मैजिस्ट्रेट
 29/6/23
 तहसीलदार
 रावतभाटा (चिसौड़ा)



दिनांक : माघ

विभागीय इकाई : राजस्थान

स्पष्ट संकेत है कि आशुजी संख्या 170/29 के
 स्वतंत्र का मौके पर कब्जा खाल के लगता हुआ
 है जबकि तस्मीय खाल से दुर हो गई है क्या
 आशुजी सं. 29 के स्वतंत्र का मौके पर कब्जा
 नहीं हो व से क्रिगेशन लि पूर्व में कब्जे में तस्मीय
 वही हो आशु. 170/29 के स्वतंत्र वी तस्मीय मौके
 अनुसार क राजस्व नम्बों में कम रकम के पूर्व
 किया गया उचित बताया है अतः वादी का वाद-पत्र
 स्वीकार योग्य पाया जाता है वादी का वाद स्वीकार
 किया जाना कब व धारा -136 फुल्टी पर आदेश
 दिए जाते है निर्णय पृथक से लिखाया जाना
 केस व कमल पर व कुलेआम सुनाया गया पत्रावली
 केसल सुमार उमर दूजे रजिस्टर से कम की
 जाकर शामिल दफ्तर है

उपखण्ड अधिकारी
 राधतभाटा (चित्तौड़गढ़)